

बिहार सरकार
गृह (आरक्षी) विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक दिसम्बर, 2014

पत्र संख्या-1/एल01-10-01/2013 गृ0आ0 /श्री चौरसिया चन्द्रशेखर आजाद, भा0पु0से0 (2000), पुलिस अधीक्षक (ई0), अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली-1955 के नियम 12, 13 एवं 20 के अन्तर्गत दिनांक 26.08.2014 से 24.09.2014 तक कुल 30 (तीस) दिनों के लिए चिकित्सा के आधार पर देय रूपांतरित अवकाश को स्वीकृत करने तथा इसे कुल 60 (साठ) दिनों के अर्द्धवैतनिक अवकाश से समायोजित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह0/-

(कौशलेन्द्र पाठक)

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-1/एल01-10-01/2013 गृ0आ0 /पटना, दिनांक दिसम्बर, 2014
प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-7 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-1/एल01-10-01/2013 गृ0आ0 /पटना, दिनांक दिसम्बर, 2014
प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-1/एल01-10-01/2013 गृ0आ0 10324/पटना, दिनांक 15 दिसम्बर, 2014
प्रतिलिपि:-अवर सचिव (पुलिस) गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली/पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/ श्री चौरसिया चन्द्रशेखर आजाद, भा0पु0से0 (2000), पुलिस अधीक्षक (ई0), अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना /आई0टी0 प्रबंधक, गृह विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/12/2014
सरकार के अपर सचिव।